इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167] भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 अप्रैल 2014—चैत्र 12, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्र. एफ-बी-1-04-2014-2-पांच-(15).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप नियम (22) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(23) बी-3 अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर के निकासी द्वार पर मदिरा की निकासी की सतत् निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा संस्थापित करेगा. कैमरे द्वारा रिकार्डिंग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में करवाई जाएगी. तात्कालिक पूर्ववर्ती 30 दिन की रिकार्डिंग का फुटेज अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रभारी अधिकारी की संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाएगा. ऐसी अवधि की रिकार्डिंग, अपराध अन्वेषण हेतु अन्वेषण अधिकारी को अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को उनकी लिखित अध्यपेक्षा पर उपलब्ध कराई जाएगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्र. बी-1-04-2014-2-पांच-(15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-04-2014-2-पांच-(15), दिनांक 2 अप्रैल 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd April 2014

No. F-B-1-04-2014-2-V(15).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) and (h) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, after sub-rule (22), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(23) The B-3 licensee shall install CCTV camera on the exit gate of licensed premises to monitor continuously the outflow of liquor. The recording by the camera shall be carried out by the licensee in the supervision of the officer-in-charge. The footage of recording of immediate preceding 30 days period shall be kept under the joint custody of the licensee and the officer-in-charge. Recording of such duration may be provided to the investigating officer for investigation of the crime or the court or the tribunal on their written requisition.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्र. एफ-बी-1-04-2014-2-पांच-(16).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 में, उप नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(10) एफ.एल.-9 अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर के निकासी द्वार पर मदिरा की निकासी की सतत् निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा संस्थापित करेगा. कैमरे द्वारा रिकार्डिंग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में करवाई जाएगी. तात्कालिक पूर्ववर्ती 30 दिन की रिकार्डिंग का फुटेज अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रभारी अधिकारी की संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाएगा. ऐसी अवधि की रिकार्डिंग, अपराध अन्वेषण हेतु अन्वेषण अधिकारी को अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को उनकी लिखित अध्यपेक्षा पर उपलब्ध कराई जाएगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्र. बी-1-04-2014-2-पांच-(16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-04-2014-2-पांच-(16), दिनांक 2 अप्रैल 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd April 2014

No. F-B-1-04-2014-2-V(16).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) and (h) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 8, after sub-rule (9), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(10) FL-9 licensee shall install CCTV eamera on the exit gate of licensed premises to monitor continuously the outflow of liquor. The recording by the camera shall be carried out by the licensee in the supervision of the officer-in-eharge. The footage of reeording of immediate preceding 30 days period shall be kept under the joint custody of the licensee and the officer-in-eharge. Reeording of sueh duration may be provided to the investigating offieer for investigation of the crime or the court or the tribunal on their written requisition.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्र. एफ-बी-1-04-2014-2-पांच-(17).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में, उप नियम (42) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(43) डी-1 अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर के निकासी द्वार पर मदिरा की निकासी की सतत् निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा संस्थापित करेगा. कैमरे द्वारा रिकार्डिंग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में करवाई जाएगी. तात्कालिक पूर्ववर्ती 30 दिन की रिकार्डिंग का फुटेज अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रभारी अधिकारी की संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाएगा. ऐसी अवधि की रिकार्डिंग, अपराध अन्वेषण हेतु अन्वेषण अधिकारी को अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को उनकी लिखित अध्यपेक्षा पर उपलब्ध कराई जाएगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्र. बी-1-04-2014-2-पांच-(17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-04-2014-2-पांच-(17), दिनांक 2 अप्रैल 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd April 2014

No. F-B-1-04-2014-2-V(17).—In exereise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) and (h) of sub-seetion (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 4, after sub-rule (42), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(43) The D-1 licensee shall install CCTV camera on the exit gate of licensed premises to monitor eontinuously the outflow of liquor. The reeording by the eamera shall be carried out by the licensee in the supervision of the officer-in-charge. The footage of recording of immediate preceding 30 days period shall be kept under the joint custody of the lieensee and the offieer-in-charge. Recording of such duration may be provided to the investigating officer for investigation of the erime or the court or the tribunal on their written requisition.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्र. एफ-बी-1-04-2014-2-पांच-(18).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (च) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(6) सी.एस.—1क तथा सी.एस.—1ख अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर के निकासी द्वार पर मदिरा की निकासी की सतत् निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा संस्थापित करेगा. कैमरे द्वारा रिकार्डिंग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में करवाई जाएगी. तात्कालिक पूर्ववर्ती 30 दिन की रिकार्डिंग का फुटेज अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रभारी अधिकारी की संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाएगा. ऐसी अवधि की रिकार्डिंग, अपराध अन्वेषण हेतु अन्वेषण अधिकारी को अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को उनकी लिखित अध्यपेक्षा पर उपलब्ध कराई जाएगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2014

क्र. बी-1-04-2014-2-पांच-(18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-04-2014-2-पांच-(18), दिनांक 2 अप्रैल 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd April 2014

No. F-B-1-04-2014-2-V(18).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) and (h) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 9, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(6) The CS-1A and CS-1B licensee shall install CCTV camera on the exit gate of licensed premises to monitor continuously the outflow of liquor. The recording by the camera shall be carried out by the licensee in the supervision of the officer-in-charge. The footage of recording of immediate preceding 30 days period shall be kept under the joint custody of the licensee and the officer-in-charge. Recording of such duration may be provided to the investigating officer for investigation of the crime or the court or the tribunal on their written requisition.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.